संख्या-203/2015/1360/22-4-15-48(108)/15

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 21 नवम्बर, 2015

विषय-केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के कृषि फार्म हेतु 01 नग ट्रैक्टर क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-45381/कृषि-2/115/2010, दिनांक-23.10.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के कृषि फार्म हेतु 01 नग ट्रैक्टर एम0एफ0 1035 डी0आई0 35 एचपी मय हुड, ड्राइवर सीट आदि क्रय किये जाने हेतु रू0 5,43,019/-(रूपया पॉच लाख तैतांलिस हजार उन्नीस मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रस्ताव में अंकित ट्रैक्टर का क्रय, भण्डार क्रय नियमों एवं संगत नियमों/शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जायेगा और इसका दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(2) निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 21.06.2010 द्वारा प्रतिनिधानित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसी पर व्यय की जायेगी। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे यथासम्भव समर्पित कर दी जायेगी।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2056-जेलें-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र " मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30.03.2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी

संख्या-203/2015/1360(1)/22-4-15-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।